संख्या-343/2020/618/22-2-2020-17(219)/2020

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 27 अगस्त, 2020*

विषय:- जिला कारागार, गौतमबुद्ध नगर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी मेघनाथ पुत्र श्री सुरेश, निवासी जनपद-गौतमबुद्ध नगर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-14751/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-20-05-2020 दिनांक 15.06.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये बन्दी मेघनाथ पुत्र श्री सुरेश, जो साहब नगर, थाना- जेवर,जनपद- गौतमबुद्ध नगर का रहने वाला है। बंदी द्वारा दिनांक 22/23.11.2010 को लड़की के साथ बलात्कार कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-84/2011 में भा0द0वि0 की धारा-452, 376 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-2, गौतमबुद्ध नगर के आदेश दिनांक 27.09.2013 द्वारा 10 वर्ष कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 09.11.2016 द्वारा यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 16.01.2020 तक 06 वर्ष 10 माह 25 दिन की अपरिहार सजा तथा 09 वर्ष 00 माह 19 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, आयु लगभग 28 वर्ष होने, भविष्य में अपराध किये जाने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने के दृष्टिगत समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। दयायाचिका समिति द्वारा बंदी की आयु, कारित अपराध की प्रकृति एवं जिला मजिस्ट्रेट/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गौतमबुद्ध नगर द्वारा समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी मेघनाथ (बंदी संख्या-35/14) पुत्र श्री सुरेश, निवासी जनपद-गौतमबुद्धनगर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

संख्या-343/2020/618(1)/22-2-2020 तद्दिनांक--

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्ध नगर।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in